



आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30-01-2012	<p style="text-align: center;">न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ भू-हदबन्दी वाद संख्या-23/2010 धारा-16 (3) सिलिंग एक्ट अन्तर्गत</p> <p>1. मौलवी मो० उस्मान गनी 2. मो० कुर्बान साकिन-कुम्हरवा, थाना-बायसी, जिला-पूर्णियाँ.....</p> <p style="text-align: right;">दोनों के पिता-हफीज मो० सिद्धीक आवेदक बनाम</p> <p>1. राज्य..... 2. अब्दुस सतीन, पिता-स्व० अब्दुल मतलीव, साकिन-कुम्हरवा, थाना-बायसी, जिला-पूर्णियाँ 3. मो० फजलुर्रहमान 4. मो० इशाक साकिन-कुम्हरवा, थाना-बायसी, जिला-पूर्णियाँ</p> <p style="text-align: right;">विपक्षी संख्या-1 विपक्षी संख्या-2 पिता- मो० इमामउद्दीन विपक्षी संख्या-3</p> <p style="text-align: center;">आ दे श</p> <p>आवेदक भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बायसी द्वारा एरिया सिलिंग वाद संख्या-2/2008, धारा-16 (3) अन्तर्गत दिनांक 03.04.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा-पासीसदरा, थाना नं०-371, खाता संख्या-24 की जमीन सर्वे में इमामउद्दीन एवं अजीजुल, पिता-शैख के नाम दर्ज था और दोनों भाई आपसी बंटवारा कर अपने हिस्से पर दखलकार थे। इमामउद्दीन अपने पीछे आवेदक के पिता एवं चाचा विपक्षी संख्या-3 को छोड़कर स्वर्गीय हो गये। पुनः आवेदक के पिता एवं चाचा अपने पिता की सम्पत्ति का आपसी बंटवारा कर दखलकार हुए। आवेदक के पिता अपने हिस्से की जमीन अपने दोनों पुत्रों आवेदक संख्या-1 एवं 2 को मौखिक हिब्बानामा के द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दे चुके थे। मुस्लिम कानून के अनुसार मौखिक हिब्बानामा को वैध माना गया है। आवेदकगण को रहने के लिये जमीन की आवश्यकता थी, इसलिये वे अपने चाचा विपक्षी संख्या-3 को अनुरोध किया कि वे अपने हिस्से की जमीन आवेदक के पास बेच दें। विपक्षी संख्या-3 ने मौजा-पासीसदरा, खाता संख्या-24, खेसरा संख्या-174, 157 एवं 159, रकवा-2.8(डिसमिल, 2.8(डिसमिल एवं 1.3) डिसमिल, कुल रकवा 07 डिसमिल जमीन दिनांक 19.11.2007 को आवेदक के पास निबंधित केवाला द्वारा बेच दिया। इस प्रकार आवेदक पिता द्वारा हिब्बानामा से प्राप्त जमीन एवं चाचा से खरीदी गयी उपरोक्त जमीन पर दखलकार हुए। आवेदक एवं जमीन विक्रेता आपस में सह हिस्सेदार भी है। किन्तु विपक्षी संख्या-2 ने निम्न न्यायालय में आवेदक द्वारा खरीदी गयी जमीन पर एरिया सिलिंग वाद संख्या-2/2008, धारा-16 (3) के अन्तर्गत दायर किया। स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या-2 भूस्वामी के सहहिस्सेदार भी नहीं है। साथ ही वाद दायर करने के क्रम में चालान के साथ फार्म-रू१३ भी संलग्न नहीं था। निम्न न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों एवं मुस्लिम कानून को नजर अन्दाज करते हुए आदेश पारित किया गया,</p>	

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>जो नियम के विरुद्ध है। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि वाद की सुनवाई कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।</p> <p>विपक्षी संख्या-2 का कथन है कि प्रश्नगत जमीन के खाता का एक हिस्सा मो0 इदरीश, पिता-इमामउद्दीन से दिनांक 01.04.1994 को निबंधित केवाला द्वारा खरीद कर दखलकार है। प्रश्नगत जमीन के पूर्व कय अधिकार विपक्षी संख्या-2 को प्राप्त है। आवेदक ने मौखिक हिब्बानामा के द्वारा पिता से जमीन प्राप्त किया लेकिन हिब्बानामा को निबंधित नहीं करवाया। आवेदक के पास एक एकड़ से अधिक जमीन है, इसलिये वह भूमिहीन भी नहीं है। अतः प्रश्नगत जमीन के संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। विपक्षी संख्या-2 इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।</p> <p>पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 16.12.2011 को सुनवाई की गयी। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। आवेदक का कथन है कि उनके एवं विपक्षी के पिता एक खतियानी रैयत के वंशदार है, इसलिये वे दोनों Co-sharer के श्रेणी में आते है, इसलिये विपक्षी का प्रश्नगत जमीन पर दावा नहीं बनता है। उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा मकान बनाने के उद्देश्य से 07 डिसमिल जमीन कय किया जा रहा है, इसलिये भी विपक्षी का आपत्ति गलत है एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है।</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता के द्वारा प्रक्रिया को पालन करते हुए आदेश पारित किया गया, जो विधि सम्मत है।</p> <p>पुनः दिनांक 27.01.2012 को सुनवाई हेतु रखी गयी।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं दोनों पक्ष को सुनने के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है और इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करना प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>	